

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ-20-32/08/बी/ग्यारह

भोपाल, दिनांक 11/02/09

// अधिसूचना //

मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

- | | | |
|--|---|------------|
| (1) मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन | - | अध्यक्ष |
| (2) मंत्री, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग | - | उपाध्यक्ष |
| (3) मंत्री, वित्त विभाग | - | सदस्य |
| (4) मंत्री, वाणिज्यिक कर विभाग | - | सदस्य |
| (5) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन | - | सदस्य |
| (6) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग | - | सदस्य सचिव |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम.एस.सोलंकी)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ-20-32/08/बी/ग्यारह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-32/08/बी/ग्यारह, दिनांक 11/2/09 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम.एस.सोलंकी)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग


पृ०क० एफ 20-32/08/बी-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 11 / 02 / 09

प्रतिलिपि :-

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त अधिसूचनाओं को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें, प्रकाशन की 100 प्रतियां कृपया इस विभाग को भेजें ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
4. विशेष सहायक माननीय मंत्री, वित्त/वाणिज्यिक कर/वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग ।
5. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
6. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०, भोपाल ।
8. प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि०, भोपाल ।

(cm/v)



(एम.एस.सोलंकी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ-20-32/08/बी/ग्यारह

भोपाल, दिनांक 27/07/09

// अधिसूचना //

मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 3 की उपधारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा राज्य में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों और अन्य परियोजनाओं से संबंधित उद्यमियों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के लिए रुपये 25 करोड़ (रुपये पच्चीस करोड़) से अधिक की वित्तीय सीमा अधिसूचित करती है जिन पर, शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति द्वारा विचार किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, अधिसूचित "थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों" से संबंधित प्रस्तावों के मामले में वित्तीय सीमा रुपये 10 करोड़ (रुपये दस करोड़) से अधिक होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ-20-32/08/बी/ग्यारह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-32/08/बी/ग्यारह, दिनांक 27/7/09 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,


वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ0क0 एफ 20-32/08/बी-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 27/07/09

प्रतिलिपि :-

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त अधिसूचनाओं को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें, प्रकाशन की 100 प्रतियां कृपया इस विभाग को भेजें ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
4. विशेष सहायक माननीय मंत्री, वित्त/वाणिज्यिक कर/वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग ।
5. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
6. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0, भोपाल ।
8. प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि0, भोपाल ।



(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

8A

CGM(V) / GM(V) # 18A

5-82

30-7-09